



कार्यालय प्राचार्य नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी
जिला-बिलासपुर (छ०ग०)



E mail Id - govtcollegeakaltari@gmail.com

Web.Side. govtcollegeakaltari.ac.in

क्रमांक / 313 / स्था0 / 2026,

अकलतरी, दि.13.10.2026.

// अतिथि व्याख्याता वाणिज्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्र 2035/637/126/आउशि/राज.स्था./2026 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 एवं अनुसार (संस्थान का नाम- नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी जिला-बिलासपुर छ.ग.) में विषय **वाणिज्य** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताकारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 22.10.2026 को सायं 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता -

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) विनिमय, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु एक के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र-छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभियार्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा- अतिथि व्याख्याता, अतिथि सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

4. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभियार्थियों के अंक सामान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरियता दी जायेगी ।

विषय / पदों का विवरण—

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह-प्राध्या.	सहा.प्राध्या.	ग्रंथपाल	क्रीडाधिकारी
1.	वाणिज्य			01		

टीपः— संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

शर्तें —

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, नेट/सेट, एम.फिल./पी.एच-डी. अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।

2. दिनांक 22.10.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा । ई-मेल से भेजे गए आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा । वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं । भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभावित होगा ।

3. अंतिम तिथि में महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी

4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 26.10.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा ।

5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची के प्रकाशन के तीन दिवस 29.10.2026 तक दावा-आपत्ति की जा सकेगी उसके पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त नहीं की गई हैं ।

7.आवेदन उपरान्त सम्बन्धित आमंत्रित चयनित अभ्यार्थी यदि समय-सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

8.अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा ।

9.अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

(स)			
क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि सहायक
1.	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	2000 / - प्रति दिन (अधिकतम 50000 / -प्रतिमाह)	1400 / - प्रति दिन (अधिकतम 35000 / -प्रतिमाह)

10.आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी जिला- बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495442 एवं आवेदित पद एवं विषय आवश्यक रूप से लिखें ।

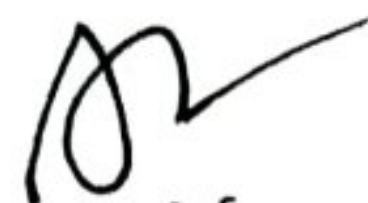
11.इस विज्ञापन के तहत दिए गए अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक नहीं कहलायेंगे ।

12.संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।

13.इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

14.कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे ।

15.यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य सम्बन्धी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेगी । तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।



प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी
जिला-बिलासपुर(छ.ग.)